

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/ 89/2017

दिनांक : 24 नवंबर, 2017

## प्रेस नोट

विषय : अरूणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियाँ भरने के लिए उप-निर्वाचनों हेतु अनुसूची- तत्संबंधी।

विभिन्न राज्यों की राज्य विधान सभाओं में निम्नलिखित स्पष्ट रिक्तियाँ हैं जिन्हें भरे जाने की आवश्यकता है :

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
1.	अरूणाचल प्रदेश	12-पक्के - कसांग (अ.ज.जा.)
		28-लीकाबाली (अ.ज.जा.)
2.	तमिलनाडु	11-डॉ. राधाकृष्णन नगर
3.	उत्तर प्रदेश	207-सिकन्दरा
4.	पश्चिम बंगाल	226-साबंग

स्थानीय त्योहारों, निर्वाचक नामावलियों, मौसमी स्थितियों आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इन रिक्तियों को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरने के लिए उप-निर्वाचन संचालित करने का निर्णय लिया है:

मतदान कार्यक्रम	अनुसूची
अधिसूचना जारी करने की तारीख	27.11.2017 (सोमवार)
नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख	04.12.2017 (सोमवार)
नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	05.12.2017 (मंगलवार)
अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	07.12.2017 (गुरुवार)
मतदान की तारीख	21.12.2017 (गुरुवार)
मतों की गणना की तारीख	24.12.2017 (रविवार)
वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न करवा लिया जाएगा	26.12.2017 (मंगलवार)

## निर्वाचक नामावली

अरूणाचल प्रदेश के 12-पक्के कसांग (अ.ज.जा.) एवं 28-लीकाबाली (अ.ज.जा.), तमिलनाडु के 11-डॉ. राधाकृष्णन नगर, उत्तर प्रदेश के 207- सिकन्दरा और पश्चिम बंगाल के 226-साबंग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन नामावलियां दिनांक 01.01.2017 को अर्हक तिथि के संदर्भ में संशोधित उप-निर्वाचन हेतु उपयोग में लाई जाएंगी।

### **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी**

आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों में उप-निर्वाचनों में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम और वीवीपीएटी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों से मतदान निर्विघ्न रूप से संचालित किए जाएं।

### **मतदाताओं की पहचान**

विगत प्रथा के अनुरूप आयोग ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। मतदाता फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे, यदि उसका नाम निर्वाचक नामावलियों में दिया गया हो, उक्त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से निदेश जारी किए जाएंगे।

### **आचार संहिता**

आयोग ने दिनांक 29 जून, 2017 के अनुदेश सं. 437/6/अनु/2016-सीसीएस (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के तहत जारी किए गए आंशिक संशोधन के अध्यक्षीय आदर्श आचार संहिता उन जिलों में तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी जिनमें उप निर्वाचन होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्य सरकारों पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्यों की संघ सरकार पर भी लागू होगी।

**(सुमित मुखर्जी)**  
प्रधान सचिव